

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- फूलपुरअवैध तमंचा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक 28.4.2022 को उ0नि0 हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा **दुर्वाषाधाम** मौजूद थे कि सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध अशलहा लेकर दुर्वाषा धाम पर आने वाला है वह किसी अन्य व्यक्ति को असलहा व कारतूस बेचने के लिये बुलाया है इस सूचना पर पुलिस दुर्वाषा धाम से अहरौला जाने वाले पुल के पास पहुँचे, गजडी की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आते दिखाई दिया पुलिस वालो को देख वह व्यक्ति मुडकर भागनाचाहा लेकिन उसे पकड लिये । पकडे गये व्यक्ति से भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि मेरे पास अवैध तमंचा व कारतूस है अपना नमा शिवम चौबे पुत्र अशोक कुमार चौबे उम्र करीब 22 वर्ष निवासी बनहर चक गजडी थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ बताया । कब्जे से एक अदद .315 बोर देशी अवैध तमंचा व एक अदद कारतूस जिन्दा .315 बोर बरामद हुआ । पकडे गये व्यक्ति का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध है कारण गिरफ्तारी बताकर समय **करीब 21.30 बजे** हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

सम्बन्धित अभियोग-

1. **मु0अ0सं0 210/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़**

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शिवम चौबे पुत्र अशोक कुमार चौबे निवासी बनहर चक गजडी थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ **उम्र करीब 22 वर्ष**

बरामदगी-

2 **एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर**

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 हीरेन्द्र प्रताप सिंह
2. हे0का0 परवेज अख्तर
3. का0 आलोक सिंह ,
3. का0 दिनेश कुमार यादव
4. का0 सुरज पटेल

थाना- मेंहनगर

चाकू से प्रहार कर हत्या का प्रयास करने वाले 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- वादी श्री कमलेश राम पुत्र देवनाथ राम ग्रा0 बसारिकपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के तहरीरी सूचना कि दिनांक 16.6.2022 को समय छः बजे सुबह मेरा लड़का शनि कुमार घर से शौच करने हेतु मगई नदी के किनारे गया था। जैसे ही मगई नदी के पास पहुँचा पुरानी रंजिस को लेकर ग्रा0 सुल्तानीपुर के रहने वाले शिवम पुत्र सुदामा, गौतम पुत्र श्रीकान्त, प्रिंस पुत्र डब्लू व सुगंध पुत्र मनोज ए लोग एक राय होकर गाली गलौज देते हुए मेरे पुत्र शनि को मारने पिटने लगे तभी शिवम ने अपने हाथ में लिए चाकू से जान मारने की नियत से मेरे लड़के शनि के उपर ताबड़ तोड़ प्रहार करने लगा शोर गुल की आवाज सुनकर मेरे ही पड़ोस गांव का लड़का विशाल पुत्र रमेश जो शौच करने गया था मौके पर गया तो उपरोक्त विपक्षी उससे भी गाली गलौज देते हुए व जान माल की धमकी देते हुए भाग गए। विशाल द्वारा सूचना मिलने पर हम लोग शनि को लेकर पी.जी.आई चक्रपानपुर गए जहाँ से डाक्टर ने सदर अस्पताल हेतु रेफर कर दिया। जहाँ मेरे पुत्र का इलाज चल रहा है के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 196/22 धारा 34/323/504/506/307 भादवि बनाम 1.शिवम पुत्र सुदामा 2.गौतम पुत्र श्रीकान्त 3.प्रिंस पुत्र डब्लू 4.सुगंध पुत्र मनोज निवासीगण ग्राम सुल्तानीपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी की विवरण – दिनांक- 17.06.2022 को उ0नि0 श्री सुभाष तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चार नफर अभियुक्त 1.शिवम पुत्र सुदामा 2. प्रिन्स पुत्र हरिकेश 3.गौतम पुत्र श्रीकान्त राम, 4. सुगन्ध पुत्र मनोज राम निवासीगण ग्राम सुल्तानीपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 10.10 बजे बोगरिया गाँव थाना तरवां से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त शिवम पुत्र सुदामा के निशा देही पर घटना स्थल के पास झाड़ी से घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के गिरफ्तारी के समय मा. उच्च. न्याया. व मानवाधिकारी आयोग के आदेश निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया.

गिरफ्तारी का स्थान – ग्राम बोगरिया थाना तरवां **समय** – दिनांक 17.06.22 समय 10.10 बजे

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 196/22 धारा 34/323/504/506/307 भादवि थाना मेंहनगर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1.शिवम पुत्र सुदामा
2. प्रिन्स पुत्र हरिकेश
- 3.गौतम पुत्र श्रीकान्त राम,
4. सुगन्ध पुत्र मनोज राम निवासीगण ग्राम सुल्तानीपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री सुभाष तिवारी मय हमराह का0 जंगबहादुर पटेल, का0 अखिलेश, का0 संजय कुमार थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

थाना- बरदह

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण / गिरफ्तारी का विवरण –दिनांक 03.06.22 को वादी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा एक किता प्रा0पत्र बाबत खुद की पुत्री को विपक्षीगण द्वारा बहलाफुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 167/22 धारा 363,366 भा0द0वि0 बनाम अभिषेक कन्नौजिया,आदि 05 नफर पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री सतीश कुमार यादव द्वारा सम्पादित की जा रही थी।विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 120बी /376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। इसी क्रम में –

दिनांक- 17.06.22 को उ0नि0 सतीश कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. आकाश कन्नौजिया पुत्र फिरतू कन्नौजिया व एक अपचारी निवासी ग्राम भूलनडीह थाना बरदह जपनद आजमगढ़ को समय 06.50 बजे हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 167/22 धारा 363/366/376/120बी भा0द0वि0 ¾ पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. आकाश कन्नौजिया पुत्र फिरतू कन्नौजिया उम्र 20 वर्षनिवासी ग्राम भूलनडीह थाना बरदह जपनद आजमगढ़
- 2- अपचारी

पुलिस टीम-

श्री सतीश कुमार यादव (उ0नि0) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

विपिन सिंह (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

थाना- बरदह

गैगेस्टर एक्ट में 02 वांछित गिरफ्तार

दिनांक- 17.06.22 को प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराहियान द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 197/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त अपने घर मौजूद है इस सूचना प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय फोर्स के ग्राम इसहाकपुर पहुंचे कि अभिक्तों के घर पास पहुँचते ही भागने लगे, जिसे पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम व पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम आद्या राजभर पुत्र सतिराम राजभर निवासी ग्राम इसहाकपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ एवं दूसरे ने अपना नाम रतिलाल राजभर पुत्र सतिराम निवासी ग्राम इसहाकपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया जिसको समय करीब 07.25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। एवं नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

अपराध का तरीका- अभि0 गणो द्वारा अपने गैग के सदस्यों के आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ अर्जित करने हेतु गैग बना कर मारपीट कर हत्या कारित कर देने जैसे अन्य जघन्य अपराध कारित करना

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 197/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

(1)अभि0 आद्या राजभर पुत्र सतिराम राजभर निवासी ग्राम इसहाकपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

1-मु0अ0स0 759ए/11 धारा 147,148,323,504,506,336 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़

2-मु0अ0स0 144ए/14 धारा 147,148,452,336,504 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़

3-मु0अ0स0 211/17 धारा 147,148,149,307,308,323,352,452,504,506 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़

4-मु0अ0स0 92/21 धारा 147,148,149,323,504,506,427,452,307,302,34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़

(2)- रतिलाल राजभर पुत्र सतिराम निवासी ग्राम इसहाकपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

1-मु0अ0स0 759ए/11 धारा 147,148,323,504,506,336 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़

2-मु0अ0स0 144ए/14 धारा 147,148,452,336,504 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़

3-मु0अ0स0 92/21 धारा 147,148,149,323,504,506,427,452,307,302,34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- आद्या राजभर पुत्र सतिराम राजभर निवासी ग्राम इसहाकपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

2- रतिलाल राजभर पुत्र सतिराम निवासी ग्राम इसहाकपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

पुलिस टीम-

धर्मेन्द्र कुमार सिंह (प्रभारी निरीक्षक) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

आदित्य मिश्रा , (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

सूरज सिंह (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

सौरभ सिंह (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

विनय सरोज (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

प्रीती पटेल (म0आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

थाना कन्धरापुर
जिला बदर अपराधी गिरफ्तार

दिनांक-17.06.2022 को व0उ0नि0 निशात जमां खाँ मय हमराह को सूचना मिली कि जिला बदर अपराधी अनिल यादव पुत्र लिल्लू निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, जिला बदर होने के पश्चात भी अन्दर मियाद अपने घर पर लुक छिपकर रह रहा है। इस सूचना पर अनिल यादव उपरोक्त की तलाश की गयी तो ज्ञात हुआ कि ग्राम मुजफ्फरपुर स्थित बाबा बैजनाथ इण्टर कालेज के पास आटो रिक्सा पकड़कर आजमगढ़ जाने वाला है कि इस सूचना पर व0उ0नि0 मय हमराहियान के तत्काल मौके पर पहुँचा का0 विकास कन्नौजिया जो पहले से जिला बदर अनिल यादव उपरोक्त को पहचानते थे उसकी ओर इशारा किया, जिला बदर अनिल यादव उपरोक्त को घेर घेरे कर मौके पर समय करीब 08.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया।

पूर्व की घटना का विवरण – मा0 न्यायालय श्रीमान् अपर जिलाधिकारी प्रशासन आजमगढ़ के आदेश दिनांक 29.01.2022 के द्वारा अभियुक्त को जिला बदर किया गया है। जो लुक छिप कर घर पर आता जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त

अनिल यादव पुत्र लिल्लू उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 166/2022 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 54/15 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 27/21 धारा 354ख, 452, 323, 504, 506 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 166 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 थाना कन्धरापुर आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 427/09 धारा 429 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 निशात जमां खाँ थाना कन्धरापुर, आजमगढ़
2. का0 विकास उमाशंकर कन्नौजिया थाना कन्धरापुर आजमगढ़

थाना- मेंहनगर

हसुआ से मारकर गम्भीर चोट पहुंचाने वाला अभियुक्त हसुआ के साथ गिरफ्तार

1. **पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-** वादी श्री रामनवल पुत्र जगरनाथ ग्राम गौरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ कि तहरीरी सूचना कि मेरे गाव के रामवृक्ष के लडके मनीष की शादी दिनांक 05-06-2022 को थी बारात ग्राम गौरा से ग्राम हथौडी थाना मेहनगर आजमगढ़, पंकज पुत्र सदानन्द के घर गयी थी रामवृक्ष के आमन्त्रण पर मेरा लडका राकेश उम्र करीब 28 वर्ष बारात मे गया हुआ था डीजे डान्स के बाद भोजन की तैयारी कर रहे थे उसी समय सुनील पुत्र रामवृक्ष मेरे लडके को बुलाकर डीजे के पास ले गया डीजे मालिक व उसका लडका आकाश भी मौजूद थे किसी बात को लेकर डीजे वाले से बहस होने लगी बहस के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा धार दार हथियार से मेरे लडके के उपर ताबड तोड प्रहार कर दिया जिससे मेरे लडके को पेट बाह सीने गहुवा मे गम्भीर चोट आयी है गम्भीर हालत मे लडके को बारातियो के सहयोग से स्वास्थ केन्द्र मेहनगर ले आए हालत गम्भीर होने के कारण सदर अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया सदर अस्पताल मे भर्ती कराकर अभि तक इलाज करा रहा था घटना दिनांक 05-06-2022 को रात्रि 11 बजे की है मुझे पुरी उम्मीद है कि मौजूद लोगो मे ही किसी ने मारा होगा के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 182/22 धारा 326 भादवि बाईस्तवाह क्रमशः1.सुनीलपुत्र रामवृक्ष 2. डीजे मालिक नाम पता अज्ञात 3. आकाश डीजे मालिक का लडका पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
2. **गिरफ्तारी की विवरण** – दिनांक- 16.06.2022 को उ.नि. मो0 आसिफ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बृजभार उर्फ कृष्णा पुत्र कमलेश R/O सेवटा थाना जहानागंज आजमगढ़ को समय 18.10 बजे रोडवेज कस्बा

मेंहनगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के निशा देही पर घटना स्थल के पास से घटना में प्रयुक्त एक अदद हसुआ बरामद हुआ। अभि० को आज दिनांक 17.06.22 को मा० न्याया. हेतु रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु०अ०सं० 182/22 धारा 326 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1-बृजभार उर्फ कृष्णा पुत्र कमलेश R/O सेवटा थाना जहानागंज आजमगढ़

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त एक अदद हसुआ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ.नि. मो. आसिफ व का. शैलेश कुमार सिंह थाना मेंहनगर आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक ने की 11 अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा 11 अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी है। जिसमें थाना कंधरापुर -02, मेंहनगर- 02, महाराजगंज- 02, बरदह-01, बिलरियागंज- 01, तहबरपुर- 01, पवई- 01 तथा सरायमीर-01 अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी। जिनका विवरण निम्नवत है-

- 1- राहुल निषाद पुत्र मनीराम निषाद निवासी गयासपुर थाना कंधरापुर, आजमगढ़ (आपराधिक)
- 2- पवन राय पुत्र संकठा राय निवासी आखापुर थाना कंधरापुर, आजमगढ़ (आपराधिक)
- 3- अब्बू सोफियान उर्फ सोनू मिया पुत्र अकरण सा० वार्ड नं०- 10, हरिवंशनगर थाना मेंहनगर, आजमगढ़ (लूट)
- 4- दीपक सोनकर पुत्र मुन्नी लाल सोनकर सा० बसिला थाना मेंहनगर, आजमगढ़ (गोवध)
- 5- अनिल सरोज पुत्र राजेन्द्र सरोज निवासी परसौली थाना बरदह आजमगढ़ (लूट)
- 6- भीम यादव पुत्र रघुवंश यादव निवासी नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम हा० मु० देवारा जदीद नेता नगरी थाना महाराजगंज, आजमगढ़ (आबकारी)
- 7- कमलदेव तिवारी पुत्र रामबूझ तिवारी निवासी महेशपुर, थाना महाराजगंज आजमगढ़ (आबकारी)
- 8- कामरान पुत्र अमीन सा० जयराजपुर थाना बिलरियागंज, आजमगढ़ (गोवध)
- 9- रवि यादव पुत्र राजमन सा० मंझारी थाना तहबरपुर, आजमगढ़ (आपराधिक)
- 10- चन्द्रश यादव पुत्र मिठाईलाल यादव सा० अण्डिका थाना पवई, आजमगढ़ (आपराधिक)
- 11- शब्बू उर्फ फकरे आलम पुत्र ईशा सा० नोनारी थाना सरायमीर, आजमगढ़ (गोवध)